अनुदान संख्या 61 – विधि और न्याय
GRANT No. 61 - LAW AND JUSTICE

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	3072,39,00	3072,40,00	2615,88,76	-456,51,24
पूरक	Supplementary	1,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				431,29,73
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	1071,27,00	1531,00,00	1506,79,12	-24,20,88
पूरक	Supplementary	459,73,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ :–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2052"	Major Head "2052"				
सचिवालय– सामान्य सेवाएं	Secretariat - General Services				
मू.	O.	13541.00	12239.13	10921.36	-1317.77
पु.	R.	-1301.87			

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष “2014”	Major Head “2014”				
न्याय प्रशासन	Administration of Justice				
मू.	O.	56439.00			
पू.	S.	1.00	57379.85	57103.67	-276.18
पु.	R.	939.85			
मुख्य शीर्ष “2015”	Major Head “2015”				
चुनाव	Elections				
मू.	O.	158461.00	120632.00	120502.41	-129.59
पु.	R.	-37829.00			
मुख्य शीर्ष “2020”	Major Head “2020”				
आय और व्यय पर करों का संग्रहण	Collection of Taxes on Income and Expenditure				
मू.	O.	9835.00	8907.55	8457.99	-449.56
पु.	R.	-927.45			
मुख्य शीर्ष “2070”	Major Head “2070”				
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	Other Administrative Services				
मू.	O.	2217.00	2029.00	1682.33	-346.67
पु.	R.	-188.00			
मुख्य शीर्ष “2552”	Major Head “2552”				
पूर्वोत्तर क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	10617.00	0.74	..	-0.74
पु.	R.	-10616.26			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष “3601”	Major Head “3601”				
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	48629.00	60422.00	60421.00	-1.00
पु.	R.	11793.00			
मुख्य शीर्ष “3602”	Major Head “3602”				
विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to Union Territory Governments with Legislature				
मू.	O.	7500.00	2500.00	2500.00	..
पु.	R.	-5000.00			

(I) ₹11120.00 लाख का प्रावधान छह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इसमें से ₹11117.00 लाख निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:–

(I) Provision of ₹11120.00 lakhs remained wholly unutilized under six heads; of these ₹11117.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष “2014” – “न्यायिक आयुक्त (बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र) – न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं हेतु अनुदान” – ₹500.00 लाख – संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से दावे न प्राप्त होने के कारण।

(A) Major Head “2014” - “Judicial Commissioner (UTs without Legislature) - Grants for Infrastructural facilities for Judiciary” - ₹500.00 lakhs - due to non-receipt of claims from the Union Territory Governments.

(खा) मुख्य शीर्ष “2552” – “न्याय प्रशासन” –

(B) Major Head “2552” - “Administration of Justice” -

(क) “न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं हेतु अनुदान” – ₹6292.00 लाख; और

(a) “Grants for Infrastructural facilities for Judiciary”- ₹6292.00 lakhs; and

(ख) "ई – न्यायालय परियोजना चरण – II" – ₹4325.00 लाख ।

प्रावधान उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "2052" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :–

(का) "सचिवालय"–

(क) "विधि कार्य विभाग" – ₹698.69 लाख की बचत (₹5612.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चिकित्सा प्रतिपूर्ति और कार्यालय खर्चों, कम दौरे किए जाने तथा परामर्शदाताओं की तैनाती कम किए जाने के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(ख) "विधायी विभाग" – ₹383.65 लाख की बचत (₹2420.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चिकित्सा प्रतिपूर्ति, लघु कार्य, रख–रखाव, कार्यालय खर्चों तथा प्रशासनिक खर्चों, कम दौरे किए जाने तथा परामर्शदाताओं की कम तैनाती किए जाने के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(ग) "विदेशी विनिमय के लिए अपीलीय अधिकरण" – ₹727.00 लाख की बचत (₹1152.50 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) इस स्कीम का वित्त मंत्रालय के अंतर्गत "तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक अधिकरण" के साथ विलय किए जाने के कारण हुई।

(घ) "राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण" – ₹491.67 लाख की बचत (₹885.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान

(b) "E-Court Project Phase-II" - ₹4325.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head "2052" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Secretariat"-

(a) "Department of Legal Affairs"- saving of ₹698.69 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5612.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards medical reimbursement and office expenses, less tours undertaken and engagement of less consultants.

(b) "Legislative Department" - saving of ₹383.65 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2420.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards medical reimbursement, minor works, maintenance, office expenses and other administrative expenses, less tours undertaken and engagement of less consultants.

(c) "Appellate Tribunal for Foreign Exchange"- saving of ₹727.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1152.50 lakhs) was due to merger of scheme with the "Smugglers and Foreign Exchange Manipulators" Tribunal under the Ministry of Finance.

(d) "National Legal Service Authority" - saving of ₹491.67 lakhs (against the sanctioned

की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने, कार्यालय को स्थानान्तिरत न किए जाने, कम दौरे किए जाने, विज्ञापन और प्रचार, लघु कार्यों तथा रखरखाव एवं किफायत उपाय किए जाने के कारण कम निधियों की आवश्यकता की वजह से हुई।

provision of ₹885.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, non-shifting of office, less tours undertaken and requirement of less funds towards advertising and publicity, minor works and maintenance and economy measures.

(खा) "अन्य कार्यालय" –

(B) "Other Offices"-

(क) "संगठित मुकदमेबाज़ी एजेंसी" – ₹118.06 लाख की बचत (₹953.50 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चिकित्सा प्रतिपूर्ति, लघु कार्यों, रखरखाव, कार्यालय खर्चों तथा अन्य प्रशासनिक खर्चों एवं कम दौरे किए जाने के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(a) "Unified Litigation Agency" - saving of ₹118.06 lakhs (against the sanctioned provision of ₹953.50 lakhs) was due to requirement of less funds towards medical reimbursement, minor works, maintenance, office expenses and other administrative expenses and less tours undertaken.

(ख) "राष्ट्रीय न्याय प्रदान और कानूनी सुधार मिशन"– ₹101.33 लाख की बचत (₹290.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चिकित्सा प्रतिपूर्ति, लघु कार्यों, रखरखाव तथा कार्यालय खर्चों और कम दौरे किए जाने के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(b) "National Mission for Justice Delivery and Legal Reforms" - saving of ₹101.33 lakhs (against the sanctioned provision of ₹290.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards medical reimbursement, minor works, maintenance and office expenses and less tours undertaken.

(III) मुख्य शीर्ष "2014" – अन्य व्यय – "राष्ट्रीय न्याय प्रदान और कानूनी सुधार मिशन" –₹430.35 लाख की बचत (₹950.00 लाख के स्वीकृति प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में कटौती किए जाने कारण हुई।

(III) Under Major Head "2014" - "Other Expenditure - National Mission for Justice Delivery and Legal Reforms" - saving of ₹430.35 lakhs (against the sanctioned provision of ₹950.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(IV) मुख्य शीर्ष "2015" के अंतर्गत–बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :–

(IV) Under Major Head "2015" - savings occurred under the following heads:-

(का) "लोकसभा और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान सभा चुनावों को एक साथ कराने के लिए प्रभार – राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अदायगी" – ₹32615.53 लाख की बचत (₹87600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से कम दावों की प्राप्ति होने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा

(A) "Charges for conduct of elections for Lok Sabha and State/Union Territory Legislative Assemblies when held simultaneously - Reimbursement to State/Union Territory Governments" - saving of ₹32615.53 lakhs (against the sanctioned provision of ₹87600.00 lakhs) was due

संशोधित प्राक्कलन चरण में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(खा) "संसद चुनाव कराने के लिए प्रभार – बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों में व्यय" – ₹324.35 लाख की बचत (₹825.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से कम मांग प्राप्त होने के कारण हुई।

(गा) "मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी किए जाने का मामला – राज्य सरकारों को प्रतिपूर्ति" – ₹5000.00 की बचत (₹10000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों/संघ राज्य सरकारों से मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी किए जाने के लिए कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष "2020" – "निदेशन और प्रशासन – आयकर अपीलीय अधिकरण" के अंतर्गत ₹1376.01 लाख की बचत (₹9834.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चिकित्सा प्रतिपूर्ति, अन्य प्रभारों, कार्यालय खर्चों, लघु कार्यों रखरखाव, कम दौरे किए जाने, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों के लिए कम दावे प्राप्त होने और किफायत उपायों के कारण कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(VI) मुख्य शीर्ष "2070" के अन्तर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(का) "विशेष जांच आयोग – विधि आयोग" – ₹379.66 लाख की बचत (₹1572.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विधि आयोग कार्यालय को किराए की बिल्डिंग से लोक नायक भवन में स्थानान्तरित किए जाने के कारण लघु कार्यों, भाड़े, दरों और करों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने, कम दौरे किए जाने एवं किफायत उपाय किए जाने के कारण हुआ।

(खा) "अन्य व्यय" – "विधि साहित्य प्रकाशन" – ₹154.01 लाख की बचत (₹644.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम दौरे किए जाने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति तथा कार्यालय

to receipt of less claims from the State/Union Territory Governments and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(B) "Charges for conduct of elections to Parliament - Expenditure in Union Territories without Legislatures" - saving of ₹324.35 lakhs (against the sanctioned provision of ₹825.00 lakhs) was due to receipt of less demand from the Union Territory Governments.

(C) "Issue of Photo Identity Cards to Voters - Reimbursement to State Governments"- saving of ₹5000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10000.00 lakhs) was due to receipt of less claims from the State/Union Territory Governments towards issue of photo identity cards to voters.

(V) Under Major Head "2020" - "Direction and Administration - Income Tax Appellate Tribunal" - saving of ₹1376.01 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9834.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards medical reimbursement, other charges, office expenses, minor works, maintenance, less tours undertaken, receipt of less claims towards ongoing works from Central Public Work Department and economy measures.

(VI) Under Major Head "2070" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Special Commission of Enquiry - Law Commission" - saving of ₹379.66 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1572.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards minor works, rent, rates and taxes owing to shifting of Law Commission office from rented building to Lok Nayak Bhawan, less tours undertaken and economy measures.

(B) "Other Expenditure - Vidhi Sahitya Prakashan" - saving of ₹154.01 lakhs (against the sanctioned provision of ₹644.00 lakhs) was due to less

खर्चों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(VII) मुख्य शीर्ष "3602" – "केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें – केन्द्रीय सहायता/हिस्सा – न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाएं" – ₹5000.00 लाख की बचत (₹7500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से कम दावे प्राप्त होने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में कमी किए जाने के कारण हुई।

(VIII) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹88.30 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 39 प्रतिशत थी।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹1270.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि दिसंबर, 2017 में मुख्य शीर्ष "2014" – "विधि सलाहकार तथा अधिवक्ता – विधि कार्य विभाग" के अंतर्गत ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹1520.82 लाख था।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं :–

(का) मुख्य शीर्ष "2014" – "ई–कोर्ट – ई–कोर्ट चरण–II" – ₹135.56 लाख का अधिक व्यय (₹37275.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष "3601" – "केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें – केन्द्रीय सहायता/हिस्सा – न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाएं" – ₹11792.00 लाख का अधिक व्यय (₹48629.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण तथा राज्य

tours undertaken and requirement of less funds towards medical reimbursement and office expenses.

(VII) Under Major Head "3602" - "Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share - Infrastructural facilities for Judiciary" - saving of ₹5000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7500.00 lakhs) was due to receipt of less claims from the Union Territory Governments with legislature and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(VIII) Under one head saving of ₹88.30 lakhs occurred constituting 39 percent of the sanctioned provision.

2. (I) The above savings were partly (₹1270.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh in December, 2017 under Major Head "2014" - "Legal Advisers and Counsels - Department of Legal Affairs". Actual excess, however, was ₹1520.82 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "2014" - "E-Courts - E-Courts Phase-II" - excess of ₹135.56 lakhs (against the sanctioned provision of ₹37275.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(B) Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share -Infrastructure facilities for Judiciary" - excess of ₹11792.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹48629.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim

सरकारों के द्वारा विनिर्माण सुविधाओं के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

and requirement of additional funds towards infrastructural facilities by the State Governments.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:–

3. In the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "4070"	Major Head "4070"				
अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Other Administrative Services				
मू.	O.	107127.00	153100.00	150679.12	-2420.88
पु.	S.	45973.00			

(I) तीन शीर्षों के अंतर्गत ₹27.00 लाख का प्रावधान पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹27.00 lakhs remained wholly unutilised under three heads.

(II) "निदेशन और प्रशासन – आयकर अपीलीय अधिकरण के लिए भूमि का अर्जन और भवनों का निर्माण" के अंतर्गत ₹4293.88 लाख की बचत (₹7100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से चालू निर्माण कार्यों के लिए कम माँग प्राप्त होने के कारण हुई।

(II) Under "Direction and Administration - Acquisition of Land and Construction of Buildings for Income Tax Appellate Tribunal" - saving of ₹4293.88 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7100.00 lakhs) was due to receipt of less demand towards ongoing works from Central Public Works Department.

4. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹4000.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि "चुनाव – निर्वाचन आयोग के लिए ईवीएम" के अंतर्गत दिसम्बर, 2017 में ₹4626.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, अधिक व्यय, ₹1900.00 लाख था।

4. The above savings were partly (₹4000.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹4626.00 lakhs in December, 2017 under "Election - EVMs for Election Commission". Actual excess, however, was ₹1900.00 lakhs.